न्यायालय अति० जिला कलक्टर दौसा

तारीख हुक्म	मु०नं० 07/2020 प्रा०पत्र स्थानांतरण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज उनवान – सुखल्या वगैरा बनाम राज० सरकार वगैरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22-7-22	अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बार-2 अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण की तलबी हेतु तलबाने पेश नहीं किये गये हैं। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाँदीकुई का स्थानांतरण हो चुका है इसलिये प्रार्थना पत्र स्थानांतरण को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थना पत्र स्थानांतरण खारिज फरमावें। प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाँदीकुई का स्थानांतरण हो जाने से विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानांतरण को आगे चलाया जाना उचित नहीं है इसलिये न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाँदीकुई में विचाराधीन दावा दुरुस्ती इन्द्राज, नक्शा एवं स्थायी निषेधाज्ञा उनवानी सुखल्या वगैरा बनाम राज० सरकार वगैरा मु०नं० 115/2018 को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरण करने हेतु प्रार्थीगण सुखल्या, मोती पुत्रान काल्या, ख्याली, रामफूल, गिल्या, श्रवण पुत्रान रामधन जाति माली निवासी नन्देरा तहसील बसवा द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत [illegible] स्थानांतरण खारिज किया जाता है [illegible] न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible] भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल [illegible] नं० रजिस्टर से कम एवं बादपूर्ति प्रविष्ठ लेखभण्डार की जावे। निर्णय आज दिनांक 22-7-2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (आर. के. मीना) अति० जिला कलक्टर	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Khilari Meena
Date: 2022.08.26 13:20:33 IST
Reason: SelfAttested